# भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
## (हिंदी प्रकोष्ठ)

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 01 सितंबर, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे अध्यक्ष, वि.रा.भा.का.समिति के निर्देशानुसार डॉ. सतिंदर भाटिया, अधिष्ठाता महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

| क्र.सं. | समिति सदस्य |
|---|---|
| 1. | डॉ. सतिंदर भाटिया, अधिष्ठाता (डीन) |
| 2. | डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, कुलसचिव |
| 3. | श्री बिमल कुमार पंडा, प्रणाली प्रबंधक |
| 4. | श्री भुवन चन्द्र, सहायक कुलसचिव |
| 5. | डॉ. कविता वाधवा, सहायक प्रोफेसर |
| 6. | श्री पीताम्बर बेहरा, उप वित्त अधिकारी |
| 7. | सुश्री नलिनी मेशराम, सहायक कुलसचिव |
| 8. | सुश्री कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी |
| 9. | सुश्री ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी |
| 10. | श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी |
| 11. | सुश्री लीना नागवानी, सहायक अनुभाग अधिकारी |
| 12. | श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी |
| 13. | श्री करूण दुग्गल, अनुभाग अधिकारी |
| 14. | सुश्री गगन अरोड़ा, प्रशासनिक समन्वयक |
| 15. | सुश्री सुमिता मारवाह, अनुभाग अधिकारी |
| 16. | सुश्री तनुश्री, सहायक अनुभाग अधिकारी |
| 17. | सुश्री मोहिनी मदान, अनुभाग अधिकारी |
| 18. | सुश्री सविता अरोड़ा बेदी, वरिष्ठ निजी सहायक |
| 19. | श्री आशीष कुमार, डीओई |
| 20. | श्री द्वैपायन ऐश, अनुभाग अधिकारी |
| 21. | सुश्री चाँदनी, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक |
| 22. | श्री सुमित साह, वरिष्ठ सहायक |
| 23. | सुश्री चंदा रानी, हिंदी अधिकारी - सदस्य सचिव |

**अप्रैल - जून, 2022 की तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित/ अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।**

1. डॉ. रोहित मेहतानी, प्रमुख (सीआरपीडी) - अनुपस्थित
2. श्री गौरव गुलाटी, उप कुलसचिव - सरकारी कार्य से काकीनाडा
3. श्री जितेंन्द्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी - सरकारी कार्य से काकीनाडा
4. सुश्री निर्मला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष - अनुपस्थित

**अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बिंदु निम्न प्रकार हैं:**

| क्रम सं. | कार्यवृत्त बिंदु | अनुवर्ती कार्रवाई |
|---|---|---|
| **1.** | **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) में उल्लखित कागज़ पत्र द्विभाषी रूप से जारी किया जाना।** <br> **(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। |
| **2.** | **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिया जाना।** <br> **(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है। |
| **3.** | **विभागों के सभी डायरी रजिस्टरों/ कम्प्यूटरों पर की जाने वाली प्रविष्ठियाँ को हिंदी/ द्विभाषी रूप में और फ़ाइलों पर विषय (शीर्षक) को हिंदी/ द्विभाषी रूप में सुनिश्चित करना।** <br> **(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | विभाग/अनुभाग की डायरी रजिस्टरों/ कंप्यूटरों पर की जाने वाली प्रविष्ठियां द्विभाषी की जा रही है और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **सभी विभागों/अनुभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक/ तिमाही रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े का सही से मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाएं।**<br><br>**(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | विभाग/ अनुभाग द्वारा तिमाही रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हो रही है। इस संबंध में प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद रिपोर्ट समय से नहीं भरी जा रही है, जिसके कारण तिमाही बैठक में देरी और मंत्रालय को भेजे जाने वाले तिमाही आंकड़े रिपोर्ट भरने में देरी होती है। इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। |
| 5. | **संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों के अधिकारी व विभागीय समिति के सदस्यों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाँच अर्द्धदिवसीय ऑनलाइन गहन कार्यशाला हेतु नामांकन।**<br><br>**(कार्रवाई – हिंदी प्रभाग)** | संस्थान के विभाग /अनुभाग के अधिकारी / कर्मचारी व समिति के सदस्यों को इस पांच अर्द्धदिवसीय ऑनलाइन गहनशाला संबंधी ईमेल प्रेषित किया जा चुका है। कार्मिकों के ईमेल से नामांकन प्राप्त होते ही हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाएगा। |
| 6. | **संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों द्वारा हिंदी का मूल पत्राचार 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के अनुसार हिंदी में किया जाना।**<br><br>**(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों द्वारा हिंदी का मूल पत्राचार 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के अनुसार हिंदी में किया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रमानुसार और अधिक बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। |
| 7. | **हिंदी दिवस/ पखवाड़ा/ हिंदी माह/ के आयोजन हेतु।**<br><br>**(कार्रवाई – हिंदी प्रभाग)** | हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत (गुजरात) में हिंदी दिवस समारोह व अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान के हिंदी प्रभाग से हिंदी अधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हिंदी पखवाड़ा की शुरूआत सूरत से की गई। 14 सितंबर 2022 को कुलपति महोदय जी का हिंदी दिवस पर संदेश को ई-मेल द्वारा सभी कार्मिकों को प्रेषित किया गया। इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा 2022 को थीम बेस्ड "अक्षर पर्व" नाम रखकर और आजादी के अमृत महोत्सव व संस्थान की हीरक जयंती से जोड़कर बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिसमें पूरे माह कोई न कोई |

| | | |
|---|---|---|
| | | गतिविधियां आयोजित की गई। हिंदी माह के उपलक्ष्य में 01 सितंबर, 2022 को संस्थान में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिसका उद्घाटन कुलपति महोदय जी के कर कमलों से किया गया। यह प्रदर्शनी पूरा माह रही। सितंबर माह में द्विभाषी सूक्तियां भी तैयार की गई और इसे एलईडी पर प्रदर्शित की गई। बैनर व पोस्टर बनवाकर जगह - जगह लगाए गए। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे कार्यशाला, प्रदर्शनी, विशेष व्याख्यान व प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। पखवाड़ा के दौरान कुल 05 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दिनांक 20.09.2022 को प्रो. सच्चिदानंद जोशी जी का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। दिनांक 27.09.2022 को राजभाषा हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जेएनयू के प्रो. देव शंकर नवीन जी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कार्मिकों को राजभाषा कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका पर व्याख्यान दिया। दिनांक 29.09.2022 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह व पुरस्कार वितरण समरोह में डीन महोदया व कुलसचिव महोदय द्वारा हिंदी भाषी व हिंदीतर भाषी राज्यों के प्रतिभागियों को कुल 5 - 5 पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित करने हेतु प्रशस्ति पत्र दिए गए। |
| **8.** | **सभी विभागों/ अनुभागों द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफ़ाफ़े पर पता हिंदी/ द्विभाषी में लिखे जाना चाहिए।**<br><br>**(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)** | सभी विभागों/अनुभागों द्वारा क्षेत्रवार भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफे पर पता हिंदी/द्विभाषी में लिखा जा रहा है और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। |